

प्रेषक,

निदेशक,

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उ०प्र०,
खनिज भवन, लखनऊ।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या 1763 / एम०-एन०जी०टी०वाद-बिजनौर / 2023

दिनांक: 21 फरवरी, 2023

विषय:-ओ०ए० सं०-485 / 2022 गौतम शर्मा बनाम उ०प्र० राज्य के मामले में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुपालन हेतु सूचना/आख्या उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा ओ० ए० संख्या-485 / 2022 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 द्वारा प्रकरण से सम्बन्धित अनुपालन आख्या उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 10.11.2022 के संगत प्रभावी अंश निम्नवत् हैं:-

4. In view of the averments in the application and observations in the report of the Joint Committee, we consider it appropriate to have response of (1) State of Uttar Pradesh through Chief Secretary, Government of Uttar Pradesh, (2) Director, Mining and Geology Department, State of Uttar Pradesh, (3) State PCB, and (4) District Magistrate, Bijnor, who stand impleaded as respondents No. 1 to 4. The Registry is directed to prepare and attach memo of parties to the application and issue notices to respondents No. 1, 2 and 4 requiring them to file their reply/response within two months at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Supported PDF and not in the form of Image PDF.
5. Learned counsel for the UPPCB seek time to file reply/response on behalf of State PCB.
6. Reply/response on behalf of State PCB be filed within two months as directed above.
7. List the matter for further consideration on 23.02.2023.

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन में निदेशालय के पत्र संख्या-1737 / एम-एन०जी०टी०-वाद बिजनौर / 2023 दिनांक 17.02.2023 द्वारा जिलाधिकारी, बिजनौर से आख्या प्राप्त करने हेतु पत्र प्रेषित किया गया। तत्क्रम में जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र संख्या-1133 / खनिज अनुभाग-23 दिनांक 21.02.2023 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार:-

“मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 10.11.2022 के परिपेक्ष्य में संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर आख्या

1. यह कि गाटा सं०-2 / 102 रकबा 1.215 है० स्थित ग्राम शाहअलीपुर कोटरा, तहसील नगीना, जिला बिजनौर पर 06 माह की अवधि के लिये ई०-टेण्डर के माध्यम से परमिट में० ब्रजवाला इन्फ्राटेक लि० को समयावधि दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 30.06.2022 तक स्वीकृत किया गया था।

2. यह कि परमिट शर्तों एवं पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों-अनुबन्धों का भंग साबित पाये जाने पर नियमानुसार कार्यवही करते हुये उक्त आवंटन आदेश 03.01.2022 को अपने आदेश दिनांक 12.05.2022 द्वारा निरस्त कर दिया गया एवं मेसर्स ब्रजवाला इन्फ्राटेक लि० पर जुर्माने की धनराशि रुपये 37,59,200 अधिरोपित कर देयता निर्धारित करते हुये अवशेष धनराशि अंकन 27,14,061 रुपये के लिये आदेश दिनांकित 12.05.2022 (संलग्नक-1) के परिपेक्ष्य में वसूली प्रमाण पत्र निर्गत किया गया।
3. यह कि गाटा संख्या-70मि० रकबा 1.264 है० स्थित ग्राम अबुल फजलपुर पहाणा, तहसील नगीना, जिला बिजनौर पर 06 माह कि अवधि के लिये ई०-टेण्डर के माध्यम से परमिट मेंसर्स जयंत इन्फ्राटेक लि० को समयावधि दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 30.06.2022 तक स्वीकृत किया गया था।
4. यह कि इस आवंटन की समयावधि दिनांक 30.06.2022 को समाप्त हो चुकी है।
5. यह कि संयुक्त जाँच कमेटी के निरीक्षण के समय क्षेत्र में अवैध खनन होता प्राप्त नहीं हुआ।
6. यह कि गाटा संख्या-2/102 स्थित ग्राम शाहअलीपुर कोटरा एवं गाटा संख्या-70मि० स्थित ग्राम अबुफजलपुर पहाणा का संयुक्त टीम उपजिलाधिकारी, नगीना, क्षेत्राधिकारी पुलिस नगीना एवं खान निरीक्षक बिजनौर द्वारा दिनांक 20.02.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें कोई गतिविधियां होनी नहीं पायी गयी जिसके फोटोग्राफ मय जियो कार्डिनेट (संलग्नक-2)।”

अतः अनुरोध है कि उक्त वर्णित स्थिति से मा० राष्ट्रीय हरित, अधिकरण, नई दिल्ली को अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(विपिन कुमार जैन)

अपर निदेशक।

परमिटधारक मै0 ब्रजवाला इन्फ्रा सोल्युशन प्रा0लि0 डायरेक्टर श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह व श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल निवासीगण ए-7 मंगल विहार कालोनी निकट नंगला मौलवी अलीगढ शहर कोल अलीगढ के पक्ष में ग्राम शाहअलीपुर कोटरा के गाटा सं0 2/102 कुल क्षेत्र 1.215 हे0 भूमि में एकत्रित 24300 घनमी0 उपखनिजों की निकासी किये जाने हेतु 08 माह की अवधि (दिनांक 30.08.2022 तक) के लिए ई0निविदा के माध्यम से खनन अनुज्ञा पत्र कार्यालय पत्रांक संख्या 1116(1)/ख0लि0-परमिट-2022 दिनांक 03.01.2022 शर्त निर्गत किया गया था। उक्त खनन अनुज्ञा पत्र दिनांक 03.01.2022 में दी गयी शर्त संख्याशर्त संख्या-4 व 18 में उल्लिखित किया गया है कि-(4) "अनुज्ञापत्रधारक द्वारा निर्धारित शयस्टी, डी0एम0एफ व टी0सी0एस की धनराशि प्रत्येक माह की प्रथम तिथि को अनिवार्य रूप से जमा करना होगा, अन्यथा की स्थिति में खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त किया जा सकता है। जिस पर कोई दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा।" (18) "यदि अनुज्ञा पत्र धारक द्वारा नियमों व अनुज्ञा पत्र, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र, खनन योजना आदि की शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो अनुज्ञा पत्र धारका को अपना मामला बताने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् जिलाधिकारी अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुज्ञा पत्र समाप्त किया जा सकता है, जिस पर कोई दावा स्वीकार/मान्य नहीं होगा।"

उपरोक्त प्रकरण में उपजिलाधिकारी, नगीना द्वारा अपनी जाँच आख्या दिनांक 21.03.2022 कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया कि परमिटधारक द्वारा अपने खनन के पट्टे स्थित मौजा शाहअलीपुर कोटरा परगना बढापुर तहसील नगीना के खसरा संख्या 2/102 रकबाई 1.215 हे0 से खनन न करके खनन बिन्दु से उत्तर की ओर लगभग 400 मीटर दूर ग्राम शाहपुर परगना बढापुर के खसरा संख्या 207 कुल रकबा 17.566 हे0 नदी के रूप में दर्ज है, जिसके लगभग 35x40 = 1400 मीटर या 0.140 हे0 में से 1.5 मीटर खुदाई करके 2100 मीटर बालू/उपखनिज का अवैध खनन किया है, सम्बन्धी आख्या प्रेषित की गयी। जिसके सम्बन्ध में उक्त परमिट क्षेत्र 2/102 व उपरोक्त आख्या में उल्लिखित ग्राम शाहपुर परगना बढापुर के गाटा सं0 207 कुल रकबा 17.566 हे0 भूमि, जो नदी के रूप में दर्ज है, के सम्बन्ध में अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रकरण की पुनः जाँच 03 दिन में करते हुए सुस्पष्ट जाँच आख्या मय फोटोग्राफ/वीडियोग्राफी कार्यालय में उपलब्ध कराये जाने हेतु अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी नगीना, क्षेत्राधिकारी (पुलिस) नगीना व खान निरीक्षक जनपद बिजनौर को कार्यालय पत्र संख्या 1291/खनिज अनुभाग-22 दिनांक 28.03.2022 प्रेषित किया गया। जिसके क्रम में अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) बिजनौर की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी, नगीना द्वारा अपनी पुनः सुस्पष्ट जाँच आख्या दिनांक 06.04.2022 खनन स्थल के फोटोग्राफ सहित कार्यालय में उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत प्रकरण की जाँच अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0) महोदय बिजनौर के निर्देशन में दिनांक 01.04.2022 को समय 04:00 बजे खान निरीक्षक बिजनौर, नायब तहसीलदार नगीना (क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक श्री मोहित कुमार, श्री छविराम व क्षेत्रीय लेखपाल श्री नीरज कुमार राणा, श्री राजवीर सिंह, श्री विजयप्रताप सिंह) एवं परमिटधारक के अधिकृत प्रतिनिधि श्री शमीम मंसूरी की उपस्थिति में संयुक्त टीम द्वारा जाँच की गयी, जिसके अन्तर्गत पाया गया कि खनन परमिटधारक मै0 ब्रजवाला इन्फ्रा सोल्युशन प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह व श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल नि0गण ए-7 मंगल विहार कालोनी निकट नंगला मौलवी अलीगढ द्वारा अपने निर्धारित खनन स्थल ग्राम शाहअलीपुर कोटरा परगना बढापुर के खसरा सं0 2/102 रकबा 1.215 हे0 से खनन न करके खनन बिन्दु से 400 मी0 उत्तर की ओर ग्राम शाहपुर के खसरा सं0 207 कुल रकबा 17.566 हे0 जो नदी के रूप में दर्ज है, में जिसके लगभग 35x40 = 1400 वर्ग मी0 अर्थात् 0.140 हे0 में 1.5 मी0 खुदाई करके 2100 घनमी0 बालू/उपखनिज का अवैध खनन होना पाया गया। परमिटधारक को की उपस्थिति में पैमाइश की गयी है।

उपरोक्त जाँच आख्या के क्रम में परमिटधारक द्वारा अपने सीमांकित क्षेत्र के बाहर 2100 घनमी0 उपखनिजों का अवैध खनन किये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा आरोपित कुल देय धनराशि रु0 37,59,200/- को निर्धारित लेखाशीर्षक 0853 में चालान के माध्यम से 03 दिवस के भीतर जमा कराते हुए परमिटधारक मै0 ब्रजवाला इन्फ्रा सोल्युशन प्रा0लि0 के प्रो0 श्री सतेन्द्र सिंह के विरुद्ध आदेश पत्रांक 1369/खनिज अनुभाग-22 दिनांक 16.04.2022 एवं परमिटधारक द्वारा निर्गत खनन अनुज्ञा पत्र, पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र व खनन योजना की शर्तों का उल्लंघन कर अवैध खनन किये जाने पर क्यों न खनन अनुज्ञा पत्र निरस्त कर दिया जाये, के सम्बन्ध में 15 दिवस के भीतर स्पष्टीकरण/साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने हेतु कार्यालय नोटिस पत्रांक 1370/खनिज अनुभाग-22 दिनांक 16.04.2022 निर्गत करते हुए परमिटधारक को रजिस्टर्ड डाक एवं उनकी रजिस्टर्ड ई-मेल पर भेजे गये। उक्त कार्यालय नोटिस पत्र दिनांक 16.04.2022 के क्रम में परमिटधारक द्वारा निर्धारित समयावधि में अपना कोई स्पष्टीकरण/पक्ष प्रस्तुत न किये जाने पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा परमिटधारक को अन्तिम अवसर प्रदान करते हुए पुनः कार्यालय नोटिस पत्रांक 464/खनिज अनुभाग-21 दिनांक 30.04.2022 निर्गत किया गया।

उक्त कार्यालय नोटिस पत्र दिनांक 16.04.2022 व 30.04.2022 के क्रम में परमिटधारक श्री सत्येन्द्र सिंह, निदेशक, मै0 ब्रजवाला इन्फ्रा सोल्युशन प्रा0लि0 द्वारा अपना प्रतिउत्तर दिनांक 28.04.2022 स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय में दिनांक 05.05.2022 को प्राप्त कराया गया, जिसमें अवगत कराया गया है कि-"शाहअलीपुर कोटरा नदी क्षेत्र में हमारा पट्टा संख्या 2/102 में स्वीकृत है। हमारे द्वारा नियमानुसार अपने स्वीकृत क्षेत्र से उपखनिजों की निकासी की जाती है, महोदय हमारे स्वीकृत क्षेत्र के चारों ओर नरत्तोपुर, अलीपुरा गामडी, शाहअलीपुर कोटरा व अन्य गांव है। खो नदी के अंदर कृषि भूमि में हर वर्ष वर्षाकाल में गन्ना एवं कृषि निकासी के मार्ग नदी द्वारा तोड़ दिये जाते हैं, प्रत्येक वर्ष स्थानीय ग्रामीणों द्वारा इन मार्गों को पुनह नदी से आर0बी0एम उठाकर पुनह निर्माण किया जाता है, साथ ही स्थानीय ग्रामवासियों द्वारा अपने निजी निर्माण हेतु भी नदी से बजरी उठाया जाता है जिसके कारण क्षेत्र में खनन पिटस (गड्डे) होने स्वभाविक ही है। इस वर्ष भी ग्रामीणों द्वारा रास्ते में गन्ना निकासी के लिए बनाए गए मार्गों के निरीक्षण से भी रास्ते पर आर0बी0एम डालने की स्थिति का पता लगाया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में वैध पट्टाधारक पर अवैध खनन आरोपित करना एवं रु0 37,59,200/- रु0 का घुमाना जमा कराने के आदेश न्यायोचित नहीं है। प्रार्थी द्वारा अपने स्वीकृत क्षेत्र से नियमानुसार खनन कार्य किया जा रहा है। अपर जिलाधिकारी महोदय एवं उपजिलाधिकारी नगीना निरन्तर.....

तथा अन्य जिला अधिकारियों द्वारा समय-समय पर औद्योगिक निरीक्षण भी किया जाता रहता है। प्रतिउत्तर के अन्त में कार्यालय नोटिस संख्या 1370/खनिज अनुभाग-22 दिनांक 16.04.2022 एवं वसूली आदेश पत्रांक 1369/खनिज अनुभाग-22 दिनांक 16.04.2022 को निरस्त करने के आदेश पारित किये जाने का अनुरोध किया गया है।"

परमिटधारक के उपरोक्त प्रतिउत्तर के अवलोकन से विदित है कि उनके द्वारा अपने प्रतिउत्तर में उनके विरुद्ध अवैध खनन आरोपित करना एवं जुर्माना धनराशि ₹0 37,59,200/- का जुर्माना जमा कराने के आदेश को न्यायोचित नहीं माना है। उपरोक्त कथन के साक्ष्य में परमिटधारक द्वारा कोई साक्ष्य प्रतिउत्तर के साथ नहीं दिया गया है। कार्यालय अभिलेखानुसार उक्त के विपरीत अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) की अध्यक्षता में उपजिलाधिकारी, नगीना की जाँच आख्या दिनांक 06.04.2022, जिसके आधार पर उक्त जुर्माने की धनराशि आरोपित की गयी है, में पैमाइश पट्टेदार की उपस्थिति में की जानी उल्लिखित है। जाँच आख्या के साथ परमिटधारक के अधिकृत अधिकर्ता के हस्ताक्षर उपस्थिति पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये गये हैं। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि पूर्व में अधोहस्ताक्षरी द्वारा परमिटधारक को कार्यालय पत्र संख्या 1182/खनिज अनुभाग-22 दिनांक 04.02.2022 द्वारा निर्देशित किया गया था, कि वह अपने आंबटित सीमांकित क्षेत्र के अन्दर ही खनन कार्य सुनिश्चित कराए। यदि उनके परमिट क्षेत्र के आस-पास कहीं भी अवैध खनन होने की सूचना उनके संज्ञान में आती है, तब वह उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित थाना/तहसील व कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे। अन्यथा की स्थिति में यदि उपरोक्त सीमांकित क्षेत्र के निकट कहीं अन्यत्र खनन होना पाया जाता है, तब उसकी पूर्ण जिम्मेदारी परमिटधारक स्वयं की होगी। वर्तमान में परमिटधारक द्वारा अपने प्रतिउत्तर में यह कहना कि उपरोक्त खनन उनके द्वारा न कर ग्रामीणों द्वारा मार्गों के निर्माण में किया गया है, आधारहीन एवं असत्य है। चूंकि यदि उनके परमिट क्षेत्र के निकट ग्रामीणों द्वारा खनन किया जा रहा था, तब उन्हें उसकी सूचना तत्काल सम्बन्धित थाना/तहसील व कार्यालय को नियमानुसार दी जानी चाहिए थी। उक्त के अतिरिक्त यह भी अवलोकनीय है कि परमिटधारक द्वारा माह जनवरी, 2022 हेतु देय डी०एम०एफ धनराशि ₹0 18,85,680/- माह अप्रैल, 2022 हेतु देय डी०एम०एफ ₹0 5,65,704/- व टी०सी०एस ₹0 1,16,536/- की धनराशि के साथ माह मई, 2022 हेतु निर्धारित पंचम किश्त की धनराशि ₹0 56,57,040/-, रायल्टी की धनराशि का 10 प्रतिशत डी०एम०एफ ₹0 5,65,704/- एवं रायल्टी की धनराशि के सापेक्ष 2.06 प्रतिशत टी०सी०एस ₹0 1,16,536/- के साथ अधोहस्ताक्षरी द्वारा आरोपित धनराशि ₹0 37,59,200/- को अभी तक जमा नहीं किया गया है। जबकि उपरोक्त धनराशि जमा किये जाने हेतु परमिटधारक को कार्यालय पत्रांक 1231/खनिज अनुभाग-22 दिनांक 03.03.2022 व पत्र सं० 1384/खनिज अनुभाग-2022 दिनांक 19.04.2022 व पत्रांक 1477/खनिज अनुभाग-2022 दिनांक 05.05.2022 निर्गत किये गये हैं। उपरोक्त आख्या एवं कार्यालय अभिलेखों के विश्लेषण से स्पष्ट है कि परमिटधारक द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों का उल्लंघन कर स्वीकृत खनन क्षेत्र के बाहर अवैध खनन किया गया है तथा पर्याप्त अवसर देने के उपरान्त भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं तथा खनन अनुज्ञा पत्र की शर्त सं० 04 में दी गयी शर्तानुसार भी नियमानुसार डी०एम०एफ व टी०सी०एस का भुगतान नहीं कर राजस्व क्षति पहुँचायी जा रही है। ऐसी स्थिति में परमिटधारक का प्रतिउत्तर दिनांक 28.04.2022 (प्राप्ति दिनांक 05.05.2022) निरस्त करते हुए परमिटधारक पर निम्नानुसार देयता निर्धारित की जाती है-

क्रम सं०	मद	जमा होने हेतु अवशेष रायल्टी	डी०एम०एफ मय ब्याज	टी०सी०एस	कुल धनराशि
1	2	3	4	5	6
1	माह जनवरी, 2022 के लिए निर्धारित डी०एम०एफ की धनराशि	-	₹0 18,85,680/- ₹0 (+) 1,17,855/- ₹0 20,03,535/-	-	₹0 20,03,535/-
2	माह अप्रैल, 2022 के लिए निर्धारित डी०एम०एफ की धनराशि	-	₹0 5,65,704/- ₹0 (+) 14,143/- ₹0 5,79,847/-	-	₹0 5,79,847/-
3	माह फरवरी, 2022 के लिए जमा डी०एम०एफ की धनराशि पर देय ब्याज	-	₹0 14,143/-	-	₹0 14,143/-
	योग	-	-	-	₹0 25,97,525/-
4	माह मई, 2022 के लिए देय निर्धारित रायल्टी की धनराशि	₹0 56,57,040/-	-	₹0 1,16,536/-	-
4	पूर्व में आरोपित जुर्माने की धनराशि	₹0 37,59,200/-	-	-	-
	जमा होने हेतु अवशेष धनराशि	₹0 94,16,240/-	₹0 25,97,525/-	₹0 1,16,536/-	₹0 1,21,30,301/-
	जमा होने हेतु अवशेष धनराशि				₹0 1,21,30,301/-

इस प्रकार परमिटधारक मै० ब्रजवाला इन्फ्रा सोल्यूशन्स प्रा०लि० डायरेक्टर श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह व श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल निवासीगण ए-7 मंगल विहार कालोनी निकट नंगला मौलवी अलीगढ शहर कोल अलीगढ पर कुल देय धनराशि (56,57,040+37,59,200) ₹0 94,16,240/- के साथ देय डी०एम०एफ मय ब्याज ₹0 25,97,525/- के साथ टी०सी०एस ₹0 1,16,536/- कुल देय धनराशि ₹0 1,21,30,301/- की देयता बनती है। उ०प्र० उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2021 के अध्याय-7 उल्लंघन, अपराध और शास्तियों के नियम-59(2) में उल्लिखित किया गया है कि - इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन निरस्त.....

इस नियमावली के उपबन्धों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उप नियम (1) के अधीन नोटिस की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इस नियमावली के अधीन राज्य सरकार के प्रति देय किसी भाटक स्यामित्व, सीमांकन शुल्क और किन्हीं अन्य मजिस्ट्रेट कुल देय धनराशि के सापेक्ष प्रतिभूति धनराशि का समायोजन करने के पश्चात् अवशेष धनराशि की वसूली हेतु वसूली प्रमाण पत्र जारी करेगा।"

अतः परमिटधारक द्वारा खनन अनुज्ञा पत्र की शर्त संख्या- 4 व 18 एवं अनुमोदित खनन योजना, पर्यावरणीय स्वच्छता प्रमाण पत्र की शर्तों/अनुबन्धों का उल्लंघन कर अवैध खनन किये जाने व उपरोक्त तालिका में उल्लिखित देय धनराशि निर्धारित समयावधि में जमा न किये जाने के कारण निर्गत खनन अनुज्ञा पत्र संख्या 1115(1)/ख0लि0-परमिट-2022 दिनांक 03.01.2022 को निरस्त करते हुए पूर्व में आरोपित देय धनराशि एवं अवशेष माह मई, 2022 हेतु किश्त की देय धनराशि के साथ कुल देय धनराशि रू0 94,16,240/- को पूर्व में जमा 25 प्रतिशत प्रतिभूति धनराशि रू0 94,28,400/- से नियमावली में दी गयी व्यवस्थानुसार समायोजित करते हुए उपरोक्त तालिका में उल्लिखित देय डी0एम0एफ धनराशि रू0 25,97,525/- व टी0सी0एस रू0 1,16,536/- कुल देय धनराशि रू0 27,14,061/- की वसूली की जाए।

12.5.22
(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

कार्यालय जिलाधिकारी (खनिज अनुभाग), बिजनौर।

पत्रांक: 1505 / खनिज अनुभाग-22

दिनांक: 12 मई, 2022


प्रतिलिपि :- निम्नांकित को आवश्यक कार्यवाही हेतु एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

1. सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, उ0प्र0 शासन लखनऊ को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, खनिज भवन लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि जनपद बिजनौर की तहसील नगीना के ग्राम शाहअलीपुर कोटरा के गाटा सं0 2/102 कुल क्षे0 1.215 हे0 में संचालित खनन परमिट के ऑनलाईन रवन्ने एम0एम-11 को सम्बन्धित पोर्टल से बन्द किये जाने हेतु सम्बन्धित को निर्देशित करना चाहें।
3. पुलिस अधीक्षक महोदय को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आप अपने स्तर से अपने अधीनस्थों को निर्देशित करने का कष्ट करें।
4. उपजिलाधिकारी नगीना/क्षेत्राधिकारी पुलिस नगीना/तहसीलदार, नगीना/थानाध्यक्ष, थाना नगीना देहात व खान निरीक्षक बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि आप तहसील नगीना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम शाहअलीपुर कोटरा के गाटा सं0 2/102 कुल क्षे0 1.215 हे0 खनन परमिट पर संचालित खनन कार्य को तत्काल बन्द कराना सुनिश्चित करें तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराएं तथा उक्त खनन क्षेत्र पर सर्तक दृष्टि बनाये रखें तथा यह सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्रान्तर्गत किसी भी दशा में अवैध खनन न होने पाए।
5. मै0 ब्रजवाला इन्फ्रा सोल्यूशन प्रा0लि0 डायरेक्टर श्री सतेन्द्र सिंह पुत्र श्री बृजेन्द्र सिंह व श्री बृजेन्द्र सिंह पुत्र श्री रामजीलाल निवासीगण ए-7 मंगल विहार कालोनी निकट नंगला मौलवी अलीगढ शहर कोल अलीगढ।

12.5.22
(उमेश मिश्रा)
जिलाधिकारी, बिजनौर।

निरीक्षण आख्या:- मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 485/2022 गौतम शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार के सम्बन्ध में

मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 485/2022 गौतम शर्मा बनाम उ0प्र0 सरकार के मामले में पहला निरीक्षण संयुक्त समिति द्वारा दिनांक 12.10.2022 को किया गया था और संयुक्त आख्या मा0 अधिकरण में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड द्वारा ई-मेल के माध्यम से दिनांक 03.11.2022 को दाखिल की गयी थी। मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 नं0 485/2022 में पारित आदेश दिनांक 10.11.2022 के अनुपालन में कार्यालय पत्रांक 1125/खनिज अनुभाग-23 दिनांक 17.02.2023 के क्रम में दिनांक 20.02.2023 को तहसील नगीना के ग्राम शाहअलीपुर कोटरा के गाटा सं0 2/102 क्षे0 1.215 हे0 व ग्राम अबुलफजलपुर पहाड के गाटा सं0 70मि क्षे0 1.264 हे0 भूमि पर खनन की गतिविधियों के सम्बन्ध में पुनः संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उक्त स्थलो पर खनन कार्य बन्द पाया गया। स्थलीय निरीक्षण/मौव के जियो-कोर्डिनेट्स के साथ फोटोग्राफ संलग्न है।


खान निरीक्षक,
बिजनौर।


क्षेत्राधिकारी (मुलिस)
नगीना।


20/2/23
उपजिलाधिकारी,
नगीना।

Photographs during Inspection dated.-20.02.2023 In the Matter of O.A. NO.-
485/2022 Gautam Sharma V/S State of Uttar Pradesh.

Gata no.- 70 ml, area - 1.264 hectare, village - Ahulfazalpur Pahara, Tehsil-Nagina, District-
Bijnor




 उपजिलाधिकारी
 नगीना (बिजनौर)


 क्षेत्राधिकारी नगीना
 जलपट-बिजनौर

Photographs during Inspection dated.-20.02.2023 In the Matter of O.A. NO.-
485/2022 Gautam Sharma V/S State of Uttar Pradesh.

Gata no.-2/102, area-1.215 hectares, village-Shahalipur Kotra, Tehsil-Nagina, District-Bijnor




उपजिलाधिकारी
नगीना (बिजनौर)


क्षेत्राधिकारी नगीना
जनपद-बिजनौर